



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 171 राँची, सोमवार,

20 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

3 मार्च, 2023

संख्या-16/से०गा०अ०-01-05/2013 (खण्ड-II) का.-1339--झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्योग विभाग, झारखण्ड के 02 सेवाओं के सम्बन्ध में नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकार, द्वितीय अपील प्राधिकार तथा नियत समय-सीमाओं को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है:-

क्र	प्रशासी विभाग का नाम	प्रदायी सेवा का नाम	नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु नियत समय-सीमा
1	उद्योग विभाग	Investment Promotion Agency on delivery of queries and grievances handling to Industries/ Businesses through National Single Window Portal	Deputy Manager (Single Window-cum-Investment Promotion)	15 कार्य दिवस	General Manager, Single Window System	07 कार्य दिवस	Director Industries-cum- Vice Chairman, Single Window System	07 कार्य दिवस
2		Grievances redressal to citizens	Deputy Manager (Single Window-cum-Investment Promotion)	15 कार्य दिवस	General Manager, Single Window System	07 कार्य दिवस	Director Industries-cum- Vice Chairman, Single Window System	07 कार्य दिवस

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आसिफ हसन,
सरकार के उप सचिव
